

न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)
पीठासीन अधिकारी:- श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 64/2013

बउनवान

राज0 सरकार जर्गे पंचायत प्रसार अधिकारी, जिला परिषद्, बारां जिला बारां
(निगराकार)

बनाम

1. श्रीमति गीताबाई पत्नि जगन्नाथ नागर जाति धाकड़ निवासी ग्राम बमोरीकलां तहसील अन्ता जिला बारां
2. ग्राम पंचायत बमोरीकलां जर्गे ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, पंचायत समिति, अन्ता जिला बारां (राज.) (गैरनिगराकारान)

निगरानी अन्तर्गत धारा 92, 97 पंचायती राज अधिनियम, 1994

बाबत निरस्त किये जाने पट्टा

उपस्थिति :- 1. श्री रूपचन्द सिंगावत अभिभाषक (निगराकार)
2. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (गैर निग. क्रम 2)

निर्णय दिनांक 11.04.2022

निगराकार द्वारा जर्गे अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बम्बोरीकलां ने दिनांक 05.11.2003 को आबादी भूमि का पट्टा क्रमांक 923 साइज 12X12 कुल क्षेत्रफल 144 वर्गमीटर का गैर निगराकार क्रम 1 को जारी किया है जो नियम विरुद्ध व अवैधानिक होने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगो को रियायती दर पर दिया जा सकता है किन्तु गैर निगराकार को दिया गया पट्टा 150 वर्गगज से अधिक होने से इस नियम का उल्लंघन है अस्तु पट्टा निरस्तनीय है। पंचायत ने निर्धारित दर (नियम 156(2) में प्रावधानित) से कम राशि प्राप्त कर मनमाने तरीक से नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। अंकेक्षण वर्ष 2004-05 की ऑडिट रिपोर्ट में भी आक्षेप गठित कर उल्लेखित किया गया है कि गैरनिगराकार से 60560/- रूपये अन्तर राशि कम प्राप्त की गई है, जो वसूल योग्य मानी गयी है। अतः निवेदन है कि गैर निगराकार क्रम 1 के पक्ष में दिनांक 05.11.2003 को जारी पट्टा संख्या 923 निरस्त फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर, गैर निगराकारान को तलब

गैर निगराकार क्रम 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे तथा गैर निगराकार क्रम 2 जर्गे अभिभाषक उपस्थित हुये। गैर निगराकार क्रम 2 को जवाब हेतु पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया।

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अधीनस्थ कार्यालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेकार्ड प्राप्त होने पर बहस हेतु नियत किया।

बहस के दौरान निगराकार द्वारा निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व पात्रता पर गौर नहीं किया पंचायतीराज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि का पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर ग्राम पंचायत द्वारा दिया जा सकता है किन्तु गैर निगराकार को दिया गया पट्टा 150 वर्गगज से अधिक होने से इस नियम का उल्लंघन है। पंचायत ने निर्धारित दर (नियम 156(2) में प्रावधानित) से कम राशि प्राप्त कर मनमाने तरीक से नियम विरुद्ध पट्टा जारी कर पंचायत को आर्थिक क्षति पहुंचायी गयी है। ऑडिट रिपोर्ट में आक्षेपित अन्तर राशि गैर निगराकार ने जमा नहीं कराई है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जारी पट्टा क्रमांक 923 दिनांक 05.11.2003 निरस्त फरमाया जावे।

इसके विपरीत गैरनिगराकार क्रम-2 के अभिभाषक ने दौराने बहस कथन किया है कि गैर निगराकार द्वारा भूखण्ड पर कब्जे व रिहायशी मकान/निर्माण होने के आधार पर पट्टा जारी किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट की अन्तर राशि जमा कराने का ग्राम पंचायत प्रयास कर रही है, यदि जमा नहीं करावे तो कार्यवाही की जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 158 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा 150 वर्गगज तक का ही पट्टा कमजोर वर्गों के लोगों को रियायती दर पर दिया जा सकता है, जबकि ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को 144 वर्गमीटर का पट्टा जारी किया गया है। अतः पत्रावली अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैर निगराकार क्रम 1 को जो पट्टा जारी किया गया है, वह अनुचित तरीके से नियम विरुद्ध जारी किया गया है।

परिणास्वरूप निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर, ग्राम पंचायत बमोरीकलां द्वारा गैरनिगराकार क्रम-1 श्रीमति गीताबाई पत्नि जगन्नाथ नागर को जारी पट्टा 12 x 12 वर्गमीटर निरस्त किया जाता है। पट्टेधारी को उक्त पट्टे पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को लिखाया जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।



(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलेक्टर,
बारा (राज.)